पूनम देवी । वीरसिंह

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
12.10.21	पत्रावली पेश हुई। सचिस्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की दफा 5 के प्रार्थना-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 CPC पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया। अपील subject to limitation & 96 CPC दर्ज रजि० की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रा० पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना तथा तहत अदालत सहायक कलक्टर, बानसूर के आदेश दिनांक 15.10.19 तथा अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपी. अभि. की बहस एवं अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपी० को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। तहत अदालत सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.19 को पारित किया गया जो कि आदिनांक तक प्रभावी है। जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण आदेश 39 नियम 3 (क) CPC के अनुसार 30 दिवस में करना होता है। अतः तहत अदालत सहायक कलक्टर, बानसूर के आदेश दिनांक 15.10.19 उनवान वीरसिंह बनाम बस्तीराम का प्रभाव स्थगित करते हुये तहत अदालत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके यहां लम्बित प्रार्थना-पत्र धारा-212 LT ACT का निस्तारण आदेश 39 नियम 3 (क) CPC में दी गई समयावधि 30 दिवस के अन्दर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलांट नियत दिनांक को तहत अदालत में उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। Sd/- भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	